

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....

सं० सं०-05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 01/2016

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग।

विषय :-

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्यशीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड N2851001020001 विषय शीर्ष 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में रू० 3,10,000/- (तीन लाख दस हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2-

राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड N2851001070001 विषय शीर्ष 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू० 90,000/-, 1303 दूरभाष में रू० 20,000/-, 1305 विधि प्रभार में रू० 1,00,000/-, 1306 वर्दी/पोशाक में रू० 20,000/-, तथा 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा में रू० 80,000/- अर्थात् कुल रू० 3,10,000/- (तीन लाख दस हजार) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।

3-

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4-

राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

5-

प्रस्ताव में सचिव (संसाधन), वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 01/2016 के पृष्ठ 13/टि० पर दिनांक 22.02.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक/

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित सचिवालय क्रोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक721/

पटना, दिनांक 28-02-17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, वित्त विभाग/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-01(स0), उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग निदेशालय/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त उपबंध अपेक्षित है।

मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 लघु उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 प्रदर्शन केन्द्र, विपत्र कोड N2851001020001

शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।

मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड N2851001070001

विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त उपबंध	कुल उपबंध जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यार्पित राशि	कुल उपबंध जो घटाने के बाद रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	1500000	5000000	5310000	310000	5310000	0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	100000	100000	10000	90000	10000
						1303 दूरभाष	20000	20000	0	20000	0
						1305 विधि प्रभार	100000	100000	0	100000	0
						1306 वर्दी / पोशाक	102000	102000	82000	20000	82000
						3401 छात्रवृत्ति / वजीफा	200000	200000	120000	80000	120000
				310000						310000	

टिप्पणी

- (क) स्तम्भ-1 और 7 में ऐसे लघु उद्योग, उप शीर्ष दिखाये जायें जिससे इकाई संबंधित हो।
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में ऑकड़ें पीठ पर अंकित किये जाय।
 (ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के ऑकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

(Handwritten signature)